

स्वयं सहायता समूह आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों का आदिवासी महिलाओं की आय, बचत एवं निवेश व्यवहार पर प्रभाव: शहडोल जिले की सोहागपुर तहसील का एक अध्ययन

भावना गौहर

सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)

सारांश

भारत में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group - SHG) आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरे हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य शहडोल जिले की सोहागपुर तहसील की आदिवासी महिलाओं की आय, बचत एवं निवेश व्यवहार पर स्वयं सहायता समूह आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों के प्रभाव का विश्लेषण करना है। अध्ययन हेतु 200 आदिवासी महिला सदस्यों का चयन किया गया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के बाद महिलाओं की औसत मासिक आय में 96.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, नियमित बचत की प्रवृत्ति विकसित हुई तथा कृषि, पशुपालन एवं लघु व्यवसायों में निवेश बढ़ा। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि वित्तीय समावेशन और आर्थिक निर्णयों में महिलाओं की सहभागिता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

कुंजी शब्द: स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म वित्त, आदिवासी महिलाएं, आय, बचत, निवेश व्यवहार, सोहागपुर तहसील, शहडोल।



प्रस्तावना

ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी तथा वित्तीय संसाधनों की कमी आर्थिक विकास में प्रमुख बाधाएं हैं। विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं की स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण रही है। वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुंच के कारण वे पारंपरिक साहूकारों पर निर्भर रहती थीं। ऐसी स्थिति में स्वयं सहायता समूह आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों ने महिलाओं को संगठित कर उन्हें बचत, ऋण तथा स्वरोजगार गतिविधियों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। शहडोल जिला मध्यप्रदेश का एक प्रमुख आदिवासी बहुल क्षेत्र है। सोहागपुर तहसील में बड़ी संख्या में गोंड, बैगा एवं कोल जनजाति के परिवार निवास करते हैं। यहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अंतर्गत अनेक स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जो महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

1. स्वयं सहायता समूह आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों की स्थिति का अध्ययन करना।
2. आदिवासी महिलाओं की आय पर कार्यक्रमों के प्रभाव का विश्लेषण करना।
3. महिलाओं की बचत प्रवृत्ति में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना।
4. निवेश व्यवहार में आए परिवर्तनों का मूल्यांकन करना।
5. आर्थिक सशक्तिकरण में कार्यक्रमों की भूमिका का परीक्षण करना।

अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) है, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी आदिवासी महिलाओं की आर्थिक स्थिति में हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन करना है।

अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्यप्रदेश के शहडोल जिले की सोहागपुर तहसील का चयन किया गया, क्योंकि यह क्षेत्र आदिवासी बहुल है तथा यहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। अध्ययन के लिए बहुस्तरीय निदर्शन (Multi-stage Sampling Method) का उपयोग किया गया। सर्वप्रथम सोहागपुर तहसील का उद्देश्यपूर्ण चयन किया गया, तत्पश्चात तहसील के विभिन्न ग्रामों में संचालित स्वयं सहायता समूहों का चयन भी उद्देश्यपूर्णनिदर्शन से किया गया। इन समूहों से संबंधित 200 आदिवासी महिला सदस्यों को अध्ययन का यादृच्छिकनमूनाकरण विधि से चयन किया गया।

अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के तथ्यों का उपयोग किया गया। प्राथमिक तथ्य संरचित प्रश्नावली, व्यक्तिगत साक्षात्कार तथा समूह चर्चा के माध्यम से संकलित किए गए। प्रश्नावली में उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, आय, बचत, ऋण उपयोग, निवेश व्यवहार तथा आर्थिक निर्णयों में भागीदारी से संबंधित प्रश्न शामिल किए गए। द्वितीयक तथ्यों के लिए पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा जिला सांख्यिकी कार्यालय की प्रकाशित रिपोर्टों का अध्ययन किया गया।



संकलित आंकड़ों का वर्गीकरण, सारणीकरण एवं विश्लेषण सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रतिशत, औसत, तुलनात्मक विश्लेषण का उपयोग किया गया। इस प्रकार अध्ययन में वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ पद्धति अपनाकर स्वयं सहायता समूह आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों के आदिवासी महिलाओं की आय, बचत एवं निवेश व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन किया गया।

उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

तालिका 1: आयु वर्ग अनुसार वितरण

आयु वर्ग	संख्या	प्रतिशत
18-30 वर्ष	54	27
31-40 वर्ष	82	41
41-50 वर्ष	42	21
50 वर्ष से अधिक	22	11
कुल	200	100

तालिका 1 के अनुसार अध्ययन में शामिल 200 आदिवासी महिला उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 82 महिलाएं (41 प्रतिशत) 31-40 वर्ष आयु वर्ग की हैं। यह आयु वर्ग आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय माना जाता है, क्योंकि इस आयु में महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों के साथ-साथ कृषि, पशुपालन, लघु व्यवसाय तथा स्वयं सहायता समूह की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करती हैं। 18-30 वर्ष आयु वर्ग की 54 महिलाएं (27 प्रतिशत) हैं, जो नई आर्थिक गतिविधियों और स्वरोजगार के अवसरों को अपनाने के प्रति अधिक उत्साही हैं। वहीं 41-50 वर्ष आयु वर्ग की 42 महिलाएं (21 प्रतिशत) अपने अनुभव के आधार पर समूह संचालन एवं वित्तीय निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की 22 महिलाएं (11 प्रतिशत) भी समूह गतिविधियों में सहभागी हैं। कुल मिलाकर 68 प्रतिशत महिलाएं 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग की हैं, जो यह दर्शाता है कि स्वयं सहायता समूहों में युवा एवं मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक है तथा यही वर्ग आर्थिक सशक्तिकरण का प्रमुख आधार बन रहा है।

आय पर प्रभाव

तालिका 2: स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से पूर्व एवं पश्चात औसत मासिक आय

विवरण	औसत आय (₹.)
SHG से पूर्व	4,580
SHG के बाद	9,000
वृद्धि	4,420
प्रतिशत वृद्धि	96.5%



तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने से पूर्व आदिवासी महिलाओं की औसत मासिक आय 4,580 रुपये थी, जो समूह से जुड़ने के पश्चात बढ़कर 9,000 रुपये हो गई। इस प्रकार औसत मासिक आय में 4,420 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई, जो लगभग 96.5 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है। यह वृद्धि सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को प्रमाणित करती है।

बचत व्यवहार पर प्रभाव

तालिका 3: मासिक बचत में परिवर्तन

बचत राशि	SHG पूर्व (%)	SHG पश्चात (%)
0-200 रु.	68	20
201-500 रु.	22	34
501-1000 रु.	8	30
1000 रु. से अधिक	2	16
कुल	100	100

तालिका 3 से स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के बाद आदिवासी महिलाओं के बचत व्यवहार में महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन आया है। समूह से जुड़ने से पूर्व 68 प्रतिशत महिलाएं प्रतिमाह केवल 0-200 रुपये तक ही बचत कर पाती थीं, जबकि समूह से जुड़ने के पश्चात यह प्रतिशत घटकर 20 रह गया। दूसरी ओर, 201-500 रुपये की बचत करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 22 से बढ़कर 34 हो गया। इसी प्रकार 501-1000 रुपये तक बचत करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 8 से बढ़कर 30 तथा 1000 रुपये से अधिक बचत करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 2 से बढ़कर 16 हो गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि आय में वृद्धि तथा वित्तीय जागरूकता के कारण महिलाओं की बचत क्षमता में सुधार हुआ है।

ऋण उपयोग का स्वरूप

तालिका 4: ऋण का उपयोग

उपयोग क्षेत्र	संख्या	प्रतिशत
कृषि	62	31
पशुपालन	48	24
लघु व्यापार	40	20
शिक्षा	20	10
आवास सुधार	16	8
अन्य	14	7
कुल	200	100



तालिका 4 से ज्ञात होता है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्राप्त ऋण का उपयोग मुख्यतः आय सृजन एवं उत्पादक गतिविधियों में किया गया है। सर्वाधिक 62 महिलाओं (31 प्रतिशत) ने ऋण का उपयोग कृषि कार्यों जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई तथा कृषि उपकरणों की खरीद के लिए किया। इसके बाद 48 महिलाओं (24 प्रतिशत) ने पशुपालन गतिविधियों, विशेष रूप से बकरी, गाय एवं मुर्गी पालन में निवेश किया। 40 महिलाओं (20 प्रतिशत) ने लघु व्यापार जैसे किराना दुकान, सब्जी विक्रय एवं अन्य स्वरोजगार गतिविधियों के लिए ऋण का उपयोग किया। शिक्षा के लिए 20 महिलाओं (10 प्रतिशत) तथा आवास सुधार के लिए 16 महिलाओं (8 प्रतिशत) ने ऋण का उपयोग किया, जबकि 14 महिलाओं (7 प्रतिशत) ने अन्य आवश्यक कार्यों में ऋण व्यय किया। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि कुल 75 प्रतिशत महिलाओं ने ऋण का उपयोग कृषि, पशुपालन एवं लघु व्यापार जैसी उत्पादक गतिविधियों में किया, जिससे उनकी आय एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूह आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम केवल ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे आदिवासी महिलाओं में उद्यमशीलता, आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक सशक्तिकरण को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।

निवेश व्यवहार में परिवर्तन

तालिका 5: निवेश गतिविधियों में परिवर्तन

निवेश क्षेत्र	SHG पूर्व (%)	SHG पश्चात (%)
कृषि	16	40
पशुपालन	14	30
लघु व्यापार	6	20
कोई निवेश नहीं	64	10
कुल	100	100

तालिका 5 से स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के बाद आदिवासी महिलाओं के निवेश व्यवहार में महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन आया है। समूह से जुड़ने से पूर्व केवल 16 प्रतिशत महिलाएं कृषि क्षेत्र में निवेश करती थीं, जो समूह से जुड़ने के पश्चात बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार पशुपालन में निवेश करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 14 से बढ़कर 30 तथा लघु व्यापार में निवेश करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 6 से बढ़कर 20 हो गया। इसके विपरीत, समूह से जुड़ने से पूर्व 64 प्रतिशत महिलाएं किसी भी प्रकार का निवेश नहीं करती थीं, जबकि समूह से जुड़ने के बाद यह प्रतिशत घटकर मात्र 10 रह गया। यह परिवर्तन दर्शाता है कि स्वयं सहायता समूह आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों ने महिलाओं में वित्तीय जागरूकता तथा निवेश की समझ विकसित की है।



बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन

तालिका 6: बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच

संकेतक	SHG पूर्व	SHG पश्चात
बैंक खाता धारक	38%	97%
नियमित बचतकर्ता	24%	88%
संस्थागत ऋण प्राप्त	12%	76%

तालिका 6 से स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूह आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों ने आदिवासी महिलाओं के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समूह से जुड़ने से पूर्व केवल 38 प्रतिशत महिलाओं के पास बैंक खाता था, जबकि समूह से जुड़ने के पश्चात यह प्रतिशत बढ़कर 97 हो गया। इसी प्रकार नियमित बचत करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 24 से बढ़कर 88 हो गया, जो बचत के प्रति बढ़ती जागरूकता एवं वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। संस्थागत ऋण प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत भी 12 से बढ़कर 76 हो गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं की औपचारिक वित्तीय संस्थाओं तक पहुंच को सुदृढ़ बनाया है।

आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता

तालिका 7: पारिवारिक आर्थिक निर्णयों में भागीदारी

स्थिति	SHG पूर्व (%)	SHG पश्चात (%)
स्वयं निर्णय लेती हैं	12	48
परिवार के साथ निर्णय	28	42
भागीदारी नहीं	60	10
कुल	100	100

तालिका 7 से स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के बाद आदिवासी महिलाओं की पारिवारिक आर्थिक निर्णयों में भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। समूह से जुड़ने से पूर्व केवल 12 प्रतिशत महिलाएं स्वयं आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम थीं, जबकि समूह से जुड़ने के पश्चात यह प्रतिशत बढ़कर 48 हो गया। इसी प्रकार परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर निर्णय लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत 28 से बढ़कर 42 हो गया। दूसरी ओर, आर्थिक निर्णयों में किसी प्रकार की भागीदारी न रखने वाली महिलाओं का प्रतिशत 60 से घटकर मात्र 10 रह गया। यह परिवर्तन दर्शाता है कि स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं के आत्मविश्वास, आर्थिक जागरूकता तथा नेतृत्व क्षमता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रमुख निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि स्वयं सहायता समूह आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों ने शहडोल जिले की सोहागपुर तहसील की आदिवासी महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्ययन के अनुसार स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के बाद महिलाओं की औसत मासिक आय में लगभग 96.5



प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि मुख्यतः कृषि, पशुपालन, लघु व्यापार तथा अन्य स्वरोजगार गतिविधियों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का परिणाम है। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि महिलाओं में नियमित बचत की प्रवृत्ति विकसित हुई है। समूह आधारित बचत व्यवस्था ने महिलाओं को वित्तीय अनुशासन अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी बचत क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके साथ ही बैंकिंग सेवाओं तक उनकी पहुंच भी बढ़ी है। अधिकांश महिलाएं बैंक खातों से जुड़ीं, नियमित लेन-देन करने लगीं तथा संस्थागत ऋण प्राप्त करने में सक्षम हुईं। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला और साहूकारों पर उनकी निर्भरता कम हुई। निवेश व्यवहार के विश्लेषण से पता चला कि महिलाओं ने कृषि, पशुपालन तथा लघु व्यापार जैसे उत्पादक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण का उपयोग आय सृजन गतिविधियों में किया गया, जिससे आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि महिलाओं की पारिवारिक आर्थिक निर्णयों में भागीदारी बढ़ी है तथा उनमें आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ है। समग्र रूप से अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि स्वयं सहायता समूह आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम केवल आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे आदिवासी महिलाओं के आर्थिक आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा, निर्णय लेने की क्षमता तथा समग्र सशक्तिकरण के प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य कर रहे हैं। अतः आदिवासी क्षेत्रों के सतत एवं समावेशी विकास के लिए ऐसे कार्यक्रमों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण आवश्यक है।

सुझाव

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को और अधिक बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। सर्वप्रथम, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी आदिवासी महिलाओं को नियमित रूप से उद्यमिता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वे उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग कर स्वरोजगार एवं लघु उद्यमों का सफल संचालन कर सकें।

महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए विपणन सुविधाओं का विस्तार किया जाना आवश्यक है। इसके लिए स्थानीय, जिला एवं राज्य स्तर पर विपणन मंच उपलब्ध कराए जाएं तथा स्वयं सहायता समूहों को मेलों, प्रदर्शनियों एवं ऑनलाइन विपणन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए। इसके साथ ही महिलाओं में वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे वे बचत, निवेश, ऋण प्रबंधन एवं बैंकिंग सेवाओं का प्रभावी उपयोग कर सकें।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि कई महिलाएं उपलब्ध ऋण राशि को अपर्याप्त मानती हैं। अतः उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऋण सीमा में वृद्धि की जानी चाहिए तथा सरल एवं सुलभ ऋण प्रक्रिया विकसित की जानी चाहिए। वर्तमान डिजिटल युग में आदिवासी महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एवं डिजिटल भुगतान प्रणालियों से जोड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए, जिससे वित्तीय समावेशन को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।



इसके अतिरिक्त, आदिवासी महिलाओं द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादों, हस्तशिल्प वस्तुओं एवं अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए स्थानीय बाजार, संग्रहण केंद्र एवं विपणन नेटवर्क विकसित किए जाने चाहिए। इन उपायों से महिलाओं की आय, रोजगार के अवसर एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी तथा स्वयं सहायता समूह आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी महिलाओं का सतत एवं समावेशी सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

उपसंहार

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूह आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम आदिवासी महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम सिद्ध हुए हैं। शहडोल जिले की सोहागपुर तहसील के संदर्भ में किए गए अध्ययन से ज्ञात हुआ कि इन कार्यक्रमों ने महिलाओं की आय में वृद्धि, नियमित बचत की आदत के विकास, उत्पादक निवेश को प्रोत्साहन तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को न केवल ऋण एवं बचत की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता तथा आर्थिक निर्णय लेने की योग्यता का भी विकास हुआ है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि कृषि, पशुपालन एवं लघु व्यापार जैसी आय सृजन गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जिससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ने से महिलाएं औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ी हैं और साहूकारों पर उनकी निर्भरता कम हुई है। इसके परिणामस्वरूप उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा तथा परिवार एवं समुदाय में भूमिका भी सशक्त हुई है। यद्यपि कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, फिर भी वित्तीय साक्षरता, विपणन सुविधाओं, डिजिटल बैंकिंग एवं पर्याप्त ऋण उपलब्धता जैसी चुनौतियां अभी भी विद्यमान हैं। अतः आवश्यक है कि सरकार, वित्तीय संस्थाएं तथा ग्रामीण विकास एजेंसियां समन्वित प्रयासों के माध्यम से इन कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाएं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था नहीं हैं, बल्कि वे आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त एवं विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का एक सशक्त साधन हैं। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में समावेशी और सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इन कार्यक्रमों का विस्तार एवं सुदृढीकरण समय की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Agarwal, B. (2018). *Gender challenges: Property, family, and the state*. Oxford University Press.
2. Armendáriz, B., & Morduch, J. (2010). *The economics of microfinance* (2nd ed.). MIT Press.
3. Banerjee, A. V., Karlan, D., & Zinman, J. (2015). Six randomized evaluations of microcredit: Introduction and further steps. *American Economic Journal: Applied Economics*, 7(1), 1–21.
4. Government of India, Ministry of Rural Development. (2024). *Annual report 2023–24*. Ministry of Rural Development, Government of India.
5. Karmakar, K. G. (2008). *Microfinance in India*. SAGE Publications India.
6. Puhazhendhi, V., & Badatya, K. C. (2002). *SHG-bank linkage programme for rural poor: An impact assessment*. National Bank for Agriculture and Rural Development.
7. Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
8. Sharma, P., & Varma, S. K. (2008). Women empowerment through entrepreneurial activities of self-help groups. *Indian Research Journal of Extension Education*, 8(1), 46–51

